(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4–2/258/1993 . – विरूद्व – आदेश दिनांक – 29–1–1993 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 87/2991–92 निगरानी

मूलचन्द पुत्र माधौलाल बैश्य
ग्राम सोईकलॉ तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्व

मं0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक **87/2991–92 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक **29–1–1993** के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील श्योपुर ने प्रकरण कमांक 106/1987–88 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 7–1–1988 से ग्राम सोईकलॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 1177 के रकबा 2 वीघा 19 विसवा का व्यवस्थापन आवेदक के नाम पर किया। नायव तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर

अनियमिततायें पाने के आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर तहसील श्योपुर का प्रकरण कमांक 106/1987–88 अ–19 स्वमेव निगरानी में लिया एंव प्रकरण कमांक 144/1990–91 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की। अपर कलेक्टर ने ग्राम सोईकलॉ में दिनांक 14–6–1991 को केंप आयोजित कर सुनवाई की तथा यवस्थापिती के पुत्र के कथन लिये । तदुपरांत प्रकरण में जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनॉक 12–8–1991 पारित किया तथा नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–1–88 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक **87/2991–92 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक 29–1–1993 से निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण कमांक 144/1990–91 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–8–1991 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर ने स्वस्तर से ग्राम में मौके पर जाकर दिनांक 14–6–1991 को जॉच की है तथा ग्रामवासियों से तथा ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त किया है। आवेदक के पुत्र ने कथन दिये हैं जिसमें उसने उसने स्वीकार किया है कि कथनकर्ता का पिता अर्थात आवेदक ग्राम सोईकलॉ में नहीं रहता है अपितु वह श्योपुर नगर में रहकर दुकानदारी करता है एंव व्यापारी है। जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि आवेदक का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर 2–10–1984 के पूर्व से नहीं है, जिसके कारण भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र था इसके वाद भी नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7–1–1988 से आवेदक के हित में त्रृटिपूर्ण ढंग से भूमि व्यवस्थापित की है जिसके कारण अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 12–8–91 पारित कर नायव तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 12–8–91 में निकाले गये

निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 29—1—2013 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं हैं

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक **87/2991—92 निगरानी** में पारित आदेश दिनांक **29—1—1993** विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर